[23/7/2019]

परिशिष्ट का प्रपत्र

प्रश्न सं. [क्र. 3617]

विधान सभा तारांकित प्रश्न क्रमांक 3617

जांच के निष्कर्ष

शिकायत का बिन्दु क्रमांक –01

(क) जांच प्रतिवेदन अनुसार संस्था के तत्कालीन प्राधिकृत अधिकारी/परिसमापक द्वारा जिन भूखण्डों का पंजीयन कराया गया है उनकी समस्त विक्रय राशि संस्था में विक्रय पत्रों में पंजीयन के पूर्व ही जमा हो चुकी है। शिकायत कर्ता द्वारा विक्रय पत्रों के शीर्ष पर उल्लेखित कलेक्टर गाईडलाइन अनुसार उल्लेखित भूखण्ड की मूल्यांकन राशि एवं अंकेक्षण टीप के प्रपत्र क्रमांक 02 में उल्लखित जमा राशि के आधार पर श्री प्रदीप नाहटा द्वारा गबन करने संबंधी आरोप लगाया है जो निराधार पाया गया।

(ख) श्री प्रदीप नाहटा, तत्कालीन प्राधिकृत अधिकारी/परिसमापक द्वारा उनके कार्यकाल में संपादित भूखण्डों के विक्रय पत्रों की राशि का समायोजन संस्था केशबुक में नहीं किया गया है तथा विक्रय पत्रों का समावेश अंकेक्षण टीप में संलग्न किये जाने वाले प्रपत्र क्रमांक 2,15(1),15(2) में भी नहीं किया गया है। इस प्रकार श्री नाहटा द्वारा तथ्यों को छिपाया है। जिसके लिए श्री नाहटा व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी है।

(ग) श्री प्रदीप नाहटा,तत्कालीन प्राधिकृत अधिकारी/परिसमापक द्वारा उनके कार्यकाल में पंजीयक के परिपत्र क्रमांक 975 दिनांक 26.08.1994 एवं 633 दिनांक 29.08.2007 द्वारा जारी निर्देशों के तहत गठित कमेटी के समक्ष संस्था के द्वारा आवंटित भूखण्डो के विक्रय पत्रों के पंजीयन हेतु प्राप्त आवेदनों को कमेटी के समक्ष प्रस्तुत किया गया है जिन पर कमेटी द्वारा निर्णय पारित करके भूखण्डो के विक्रय पत्रों के पंजीयन करने हेतु आदेश/निर्देश श्री नाहटा तत्कालीन प्राधिकृत अधिकारी/परिसमापक को दिया गया है किन्तु श्री नाहटा द्वारा कमेटी के समक्ष परिपत्र क्रमांक 975 दिनांक 26.08.1994 द्वारा अपेक्षित 23 +10 बिन्दुओं वाले प्रपत्र में आवंटित भूखण्ड से संबंधित जानकारी प्रस्तुत नहीं की गयी है। इसके बावजूद भी कमेटी द्वारा निर्णय पारित करके भूखण्डो के विक्रय पत्रों के पंजीयन कराने का आदेश/निर्देश श्री नाहटा तत्कालीन प्राधिकृत अधिकारी/परिसमापक को दिये गये है।जिसके लिए कमेटी अध्यक्ष तत्कालीन उपपंजीयक श्री भारत सिंह चौहान, तत्कालीन वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक श्री जोवाकिम कुजुर एवं संयोजक श्री प्रदीप नाहटा तत्कालीन प्राधिकृत अधिकारी/परिसमापक उत्तरदायी है।

(घ) जांच प्रतिवेदन अनुसार श्री प्रदीप नाहटा तत्कालीन प्राधिकृत अधिकारी द्वारा कमेटी के निर्णयों एवं आदेश/निर्देश के परिपालन में जांच प्रतिवेदन में उल्लेखित 05 गैर सदस्यों भूखण्डो का पंजीयन किया गया है। कमेटी द्वारा 05 प्रकरणों से संबंधित भूखण्ड का पंजीयन आवंटित सदस्य को न करते हुए सदस्य के परिवार के अन्य व्यक्ति को भूखण्डों के पंजीयन कराने का निर्णय लेकर प्राधिकृत अधिकारी को भूखण्डो के विक्रय पत्रों के पंजीयन कराने का आदेश /निर्देश दिया है। इस प्रकार कमेटी द्वारा गैर सदस्यों के पक्ष में भूखण्डो के विक्रय पत्र निष्पादित कराने का आदेश/निर्देश देकर सहकारी अधिनियम ,नियम एवं उपविधियों का पालन नहीं किया गया है जिसके लिए कमेटी अध्यक्ष श्री भारत सिंह चौहान तत्कालीन वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक श्री जोवाकिम कुजुर एवं संयोजक श्री प्रदीप नाहटा तत्कालीन प्राधिकृत अधिकारी/परिसमापक उत्तरदायी है।

(च) जांच प्रतिवेदन अनुसार संस्था के तत्कालीन प्राधिकृत अधिकारी श्री प्रदीप नाहटा द्वारा पंजीयक द्वारा गठित कमेटी के निर्णय एवं आदेश/निर्देशों के परिपालन में प्रतिवेदन मे उल्लेखित 19 सदस्यों को एक से अधिक भूखण्डों के विक्रय पत्रों का पंजीयन कराया गया है। इस प्रकार कमेटी द्वारा नियमों के विरूद्ध एक ही सदस्य को एक से अधिक भूखण्डो के विक्रय पत्रों का पंजीयन कराने के निर्देश दिये है जिसके लिए कमेटी अध्यक्ष श्री भारत सिंह चौहान तत्कालीन वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक श्री जोवाकिम कुजुर एवं संयोजक श्री प्रदीप नाहटा तत्कालीन प्राधिकृत अधिकारी/परिसमापक उत्तरदायी है।

(छ) जांच प्रतिवेदन अनुसार संस्था के सदस्य श्री गिरवरसिंह पिता गजराज सिंह को 02 भूखण्ड एवं उनकी पत्नी श्रीमती भागबाई को 01 भूखण्ड के विक्रय पत्र का पंजीयन कराया गया है जो कि एक ही परिवार के सदस्य है। उक्त भूखण्डो के विक्रय पत्रों का पंजीयन कराने के निर्देश कमेटी द्वारा प्राधिकृत अधिकारी को दिये है। सहकारी अधिनियम एवं पंजीकृत उपविधि अनुसार संस्था में पति–पत्नी में से एक व्यक्ति को सदस्य बनाने

एवं एक भूखण्ड आवंटन का प्रावधान है किन्तु कमेटी द्वारा नियम विरूद्ध एक ही परिवार के व्यक्तियों को 03 भूखण्डों के विक्रय पत्रों का पंजीयन कराने के निर्देश दिये है जिसके लिए कमेटी अध्यक्ष श्री भारत सिंह चौहान तत्कालीन वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक श्री जोवाकिम कुजुर एवं संयोजक श्री प्रदीप नाहटा तत्कालीन प्राधिकृत अधिकारी/परिसमापक उत्तरदायी है।

(ज) जांच प्रतिवेदन अनुसार संस्था के तत्कालीन परिसमापक श्री प्रदीप नाहटा द्वारा सहकारी अधिनियम के प्रावधानो के विपरीत 03 सदस्यों को आवंटित भूखण्डों के विक्रय पत्रों का पंजीयन बगैर तत्कालीन उप पंजीयक के संज्ञान में लाये पूर्व मे कमेटी द्वारा दिये गये निर्णय ,आदेश/निर्देश के आधार पर सदस्यों के पक्ष में भूखण्डों का पंजीयन कराया गया है जिसके लिए श्री प्रदीप नाहटा तत्कालीन परिसमापक उत्तरदायी है।

शिकायत का बिन्दु क्रमांक –02

(क) जांच प्रतिवेदन अनुसार शिकायत में उल्लेखित श्री नाहटा द्वारा श्रीमती शान्तिबाई पति श्री मांगीलाल जैन को निष्पादित विक्रय पत्रों की धनराशि संस्था में जमा न करने एवं गबन करने संबंधी आरोप निराधार एवं सही नहीं पाया गया।

(ख) जांच प्रतिवेदन अनुसार शिकायत में श्री प्रदीप नाहटा के विरूद्ध पी.एस.पी.भूमि 945 वर्गमीटर के विक्रय पत्रों का निष्पादन श्री राजेश तिवारी के पक्ष में करके विक्रय पत्र की राशि रूपये 2535000/– एवं 3118500/– के गबन संबंधी आरोप सही नहीं पाया गया। संस्था के तत्कालीन प्राधिकृत अधिकारी श्री प्रदीप नाहटा द्वारा उक्त भूमि के विक्रय पत्रों का निष्पादन न्यायालीन आदेशों के परिपालन में किया गया है। पी.एस.पी.भूमि श्री राजेश तिवारी को विक्रय करने संबंधी विक्रय अनुबन्ध पत्र में एवं विक्रय अनुबन्ध के पृष्ठ भाग पर विक्रय मूल्य की कुल राशि रूपये 300000/–पूर्व अध्यक्ष श्री सी.बी. जॉन द्वारा प्राप्त की जाकर प्राप्ति रसीद देने का उल्लेख है। उक्त राशि संस्था के रिकार्ड में जमा होना नहीं पायी गयी है। जिससे स्पष्ट हुआ है कि उक्त राशि का गबन पूर्व अध्यक्ष श्री सी.बी. जॉन द्वारा किया गया है। उक्त राशि पूर्व अध्यक्ष श्री सी.बी. जॉन/उत्तराधिकारी से मय ब्याज के वसूली करने के लिए कार्यालयीन पत्र क्रमांक/गृ.नि./2019/338 दिनांक 01.03.2019 से सहायक आयुक्त अंकेक्षण को अधिनियम की धारा 58 बी के अंतर्गत 03 दिवस में प्रकरण प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये है।

शिकायत का बिन्दु क्रमांक –03

(क) जांच प्रतिवेदन अनुसार शिकायत में उल्लेखित यह तथ्य प्रमाणित नहीं पाया गया कि श्री प्रदीप नाहटा द्वारा माननीय न्यायालय जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण फोरम उज्जैन के समक्ष प्रकरण क्रमां 359/09 में गलत कथन देकर फर्जी लीजडीड का उल्लेख कर फोरम को गुमराह कर निर्णय पारित करवाया है।

(ख) जांच प्रतिवेदन अनुसार शिकायत में उल्लेखित श्री नाहटा पर गबन की राशि से फलेट, मकान ,दो कार बाईक, एक्टिवा आदि क्रय करने का आरोप प्रमाणित नहीं पाया गया।

(ग) जांच प्रतिवेदन अनुसार शिकायत में उल्लेख किया है कि श्री नाहटा ने प्रबन्धक श्री राजेन्द्र चौधरी के साथ मिलकर गायत्री नगर का पूरा प्लान बदल दिया है।इस संबंध में दस्तावेजी प्रमाण के अभाव में शिकायत में उल्लेखित आरोपो की प्रमाणिकता सिद्ध नहीं पायी गयी।

शिकायत का बिन्दु क्रमांक –04

(क) जांच प्रतिवेदन अनुसार श्रीमती चन्द्रा शर्मा पति स्व. श्री महेश चन्द्र शर्मा एवं श्री भगवानदास कोष्टा के प्रकरणों में श्री प्रदीप नाहटा द्वारा माननीय राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद फोरम नई दिल्ली के द्वारा पारित निर्णय के परिपालन में विक्रय पत्रों का निष्पादन कराया गया है एवं दौनो ही प्रकरणों में शिकायतकर्ता द्वारा संस्था के बैंक खाते में राशि जमा नहीं होने संबंधी लगाया गया आरोप सही नहीं पाया गया ।

(ख) जांच प्रतिवेदन अनुसार शिकायत में उल्लेखित 06 व्यक्ति संस्था के सदस्य नहीं हैं, असत्य पाया गया । शिकायत में उल्लेखित 06 व्यक्ति संस्था के सदस्य हैं। शिकायत में उल्लेखित तथ्य श्री नाहटा द्वारा विक्रय राशि रूप्ये 5722537.98 संस्था के बैंक खाते मे जमा नहीं करने संबंधी आरोप भी असत्य पाया गया है।

जांच प्रतिवेदन अनुसार शिकायत में उल्लेखित यह तथ्य सही पाया गया कि श्री भगवानदास कोष्टा के पक्ष में निष्पादित विक्रय पत्र में श्रीमती निर्मला कोष्टा (गैर सदस्य) का नाम सम्मिलित है जिसके लिए श्री प्रदीप नाहटा, तत्कालीन प्राधिकृत अधिकारी उत्तरदायी है।

शिकायत का बिन्दु क्रमांक –05

जांच प्रतिवेदन अनुसार शिकायत के प्रथम पैरा में उल्लेखित श्री नाहटा द्वारा नगदी राशि रूपये 30997515.98 का गबन करने संबंधी आरोप सही नहीं पाया गया। संस्था के तत्कालीन प्राधिकृत अधिकारी /परिसमापक श्री प्रदीप नाहटा द्वारा अपने कार्यकाल में किसी भी नवीन भूखण्ड का आवंटन नहीं किया गया है ,उनके द्वारा केवल उन्ही भूखण्डो के विक्रय पत्रों का निष्पादन कराया गया है जो संस्था में पूर्व से ही आवंटित थे। शिकायत में उल्लेखित यह तथ्य प्रमाणित नहीं पाया गया कि श्री नाहटा द्वारा संस्था के भूखण्ड गाईडलाईन से कम मे विक्रय कर संस्था को हानि पहुँचायी गयी है। शिकायत के द्वितीय पैरा में उल्लेखित आरोपो की जांच तथ्यात्मक दस्तावेजी प्रमाण के अभाव में की जाना संभव नहीं होना पाया गया।

शिकायतकर्ता का यह कथन निराधार पाया गया कि श्री नाहटा द्वारा जिला आगर–मालवा स्थानान्तरण होने की अवधि में भी भारत हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसायटी लिमि. उज्जैन के भूखण्डों की रजिस्ट्री करायी गयी है।

संयुक्त आयुक्त
सहकारिता, मध्यप्रदेश

for उप आयुक्त, सहकारिता
जिला उज्जैन

अनुभाग अधिकारी
म० प्र० शासन,
सहकारिता विभाग